**Subject: PUD memo no. 1138/Three-13-6/2007, Shajapur, dated: 28.11.2023 of Principal District and Sessions Judge, Shajapur regarding guidance for making of e-Sewa kendra.**

Under the subject cited above, it is to submit that the communication has been received from Principal District and Sessions Judge, Shajapur that for making of e-Sewa Kendra at Tehsil Court, Nalkheda of District Shajapur the administrative and financial sanction of Rs. 3,61,000/- was granted .

It is further submitted that for the construction of new court building it will taken near about 05 to 06 years at present.

The Tehsil Court, Nalkheda was operational in old building of krishi upaj mandi and vide Registry memo no. B/6043, dated: 13.12.2022 the operation of Tehsil Court was started in the building Dr. Bhimrao Ambedkar Manglik Bhawan, Nalkheda.

It is requested by Principal District and Sessions Judge, Shajapur that to kindly provided guidance for making of e-Sewa Kendra.

In this regard, it is to submit that the matter regarding guidance for making of e-Sewa kendra may be placed before the I.T. & e-Courts Committee of the High Court for consideration and recommendations.

06/01/2024

Back

XV-OR-15

Sub: Regd. guidance for making of e-sewa Kendra in Prin. Dist & Sess. Judge, Shajapur.

**Therefore, may if approved: -**

1. Permit to place the matter regarding guidance for making of e-Sewa kendra at Tehsil Court, Nalkheda of District Shajapur, before the I.T. & e-Courts Committee of the High Court for consideration and recommendations.

06/01/2024

**(F.H. QAZI)**
**SPSA(SA)**

09.01.24

**REGISTRAR GENERAL**

**HON'BLE SHRI JUSTICE ROHIT ARYA**
**(CHAIRMAN, COMPUTER & E-COURT COMMITTEE)**

V-1-7-213/05

E-sewa

Back

XV-OR-15

**विषय :–तहसील न्यायालय नलखेड़ा में ई–सेवा (पोर्टा केबिन) के निर्माण कार्य के संबंध में।**

13.12.2023

कृपया विचाराधीन ज्ञापन का अवलोकन करने का कष्ट करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर ने उनके कार्यालय के ज्ञापन कमांक 1138 दिनांक 28.11.2023 के द्वारा निवेदन किया है कि तहसील न्यायालय नलखेड़ा में ई–सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु एक पोर्टा केबिन का निर्माण कार्य किस स्थल पर कराया जावें तत् संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष, शाजापुर ने उपरोक्त ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया है कि तहसील न्यायालय नलखेड़ा में ई–सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु एक पोर्टा केबिन निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 3,61,000/– की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है तथा तहसील न्यायालय में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण में लगभग 5–6 वर्ष लगने की संभावना है, तहसील नलखेड़ा में पुरानी कृषि उपज मंडी के भवन में न्यायालय संचालित हो रहा था रजिस्ट्री के ज्ञापन कमांक बी/6043 दिनांक 13.12.2022 के अनुकम में वर्तमान में डॉ. भीमराव अंबेडकर मांगलिक भवन, नलखेड़ा में न्यायालय का संचालन अस्थाई रूप से किया जा रहा है।

उपरोक्त स्थिति में ई–सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु एक पोर्टा केबिन निर्माण कार्य किस स्थल पर कराया जावें स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

अतः उक्त ई–सेवा केन्द्र (पोर्टा केबिन) का किस स्थल पर निर्माण कार्य कराया जाना उचित होगा, मार्गदर्शन चाहा गया है।

यहाँ पर यह भी उल्लेख किया जाना आवष्यक है कि जिला न्यायालयों एवं तहसील न्यायालयों में ई–सेवा केन्द्र हेतु पोर्टा केबिन निर्माण कार्य से संबंधित कार्य (आई.टी.) (एस.ए.) शाखा द्वारा संपादित किया जाता है। अतः तहसील न्यायालय नलखेड़ा में ई–सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु एक पोर्टा केबिन का निर्माण कार्य किस स्थल पर कराया जाना है, तत् संबंध में आवश्यक कार्यवाही (आई.टी.) (एस.ए.) शाखा द्वारा की जावेगी।

अतः यदि अनुमोदित हो तो :–

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर से उनके कार्यालय के ज्ञापन कमांक 1138 दिनांक 28.11.2023 (वर्तमान पी.यू.डी.) की प्रतिलिपि सिनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.) महोदय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना उचित होगा? 'A'

अथवा

अन्य कोई आदेश जो उचित समझा जावें?

13/12/23

**जूनि.ज्यू.असि.**

13/12/2023

**प्रशासनिक अधिकारी (कार्य एवं अधोसंरचना)**

Back

E-Sewa

XV-OR-15

विषय :–तहसील न्यायालय नलखेड़ा में ई–सेवा (पोर्टा केबिन) के निर्माण कार्य के संबंध में।

Sir may kindly approve as proposed on pre-page at 'A'?

SMathur 13/12/2013

**असिस्टेंट रजिस्ट्रार (कार्य एवं अधोसंरचना)**

Sir may approve proposal at 'A'

14/12/13

**रजिस्ट्रार (कार्य एवं अधोसंरचना)**

15/12/...

**रजिस्ट्रार जनरल**

'A'

Back



# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र.

//ज्ञापन//

कमांक 1139 तीन–13–6/2007, शाजापुर, दिनांक 25.11.2023

28/11/2023

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल महोदय
माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश
**जबलपुर**

विषय :– तहसील न्यायालय नलखेड़ा में ई–सेवा केन्द्र (पोर्टा केबिन) के निर्माण के संबंध में।

संदर्भ :– माननीय रजिस्ट्री जबलपुर का ज्ञापन कमांक बी/5935 दिनांक 05 दिसम्बर 2022 एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का मेमोरेडम कमांक बी/6043 दिनांक 13 दिसम्बर 2022 एवं प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग नलखेड़ा का ज्ञापन कमांक 435 दिनांक 16.08.2023।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि, माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन दिनांक 05 दिसम्बर 2022 के द्वारा तहसील न्यायालय नलखेड़ा में ई–सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु एक पोर्टा केबिन निर्माण कार्य हेतु राशि 3,61,000/–रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है तथा तहसील न्यायालय में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण में लगभग 5–6 वर्ष लगने की संभावना है, तहसील नलखेड़ा में पुरानी कृषि उपज मंडी के भवन में न्यायालय संचालित हो रहा था तथा माननीय रजिस्ट्री के मेमोरेडम कमांक बी/6043 दिनांक 13 दिसम्बर 2022 के अनुकम में वर्तमान में डॉ. भीमराव अंबेडकर मांगलिक भवन नलखेड़ा में न्यायालय का संचालन अस्थाई रूप से किया जा रहा है।

उपरोक्त स्थिति में ई–सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु एक पोर्टा केबिन निर्माण कार्य किस स्थल पर कराये जावे स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

अतः उक्त ई–सेवा केन्द्र (पोर्टा केबिन) का किस स्थल पर निर्माण कार्य कराया जाना उचित होगा, मार्गदर्शन देने का कष्ट करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
**शाजापुर (म.प्र.)**